

डिक्की व मुकददमें इक्टदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा

अज इजलास :- श्री देवी सिंह (आर.ए.एस.)

व मु0 उनवान :-

1. प्रवीन उम्र 15 वर्ष
2. करन सिंह उम्र 10 वर्ष
3. मनीष उम्र 12 वर्ष
4. लक्ष्मी उम्र 12 वर्ष

पि0 रामप्रकाश ना0बा0
सरपरस्ती माता खुद कमलेश

जाति जाटव नि0 बीचका पुरा
तह0 राजाखेडा हाल नि0 जारुअ
कटरा तह0 सदर आगरा उ0प्र0

--- वादीगण

बनाम

1. रामप्रकाश
2. रमेश
3. राजेन्द्र
4. तहसीलदार राजाखेडा बहैसियत लैण्ड होल्डर

पि0 विपती

जाति जाटव निवासीगण बीचकापुरा तह0 राजाखेडा

-----प्रतिवादीगण

दावा:- बंटवारा काश्त, मय स्थाई
निषेधाज्ञा 88,53,188 आरटीए

निर्णय दिनांक 11.12.2021

मु0 नम्बर 92/21

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु मुझ देवी सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा द्वारा हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्की किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1457 क्षे0 0.2909 है0, 1510 क्षे0 0.3704 है0 कुल कित्ता 2 कुल क्षेत्रफल 0.6703 है0 बांके ग्राम गन्हेंदी तहसील राजाखेडा में बादीगण सं0 1 लगायत 4 को संयुक्त रूप से हिस्सा 4/15 का खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी सं0 1 रामप्रकाश को हिस्सा 1/15 का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं0 2 रमेश को हिस्सा 1/3 का एवं प्रतिवादी 3 राजेन्द्र को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में वर्तमान इन्द्राजातों की दुरुस्ती की जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के इन्द्राजात दर्ज किये जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्डाधिकारी

राजाखेडा

He